

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 23/2022

बउनवान

राजू पुत्र श्री सुखपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम जालेडा तहसील व जिला बारां (राज०)
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज०)
(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री ललित नागर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 16.08.2023



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 22.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम गूगलहेडी तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 79/172 रकबा 0.32 है., किस्म-गै.मु. खाल पर अतिक्रमी मानकर 160/- रुपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अपील प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलान्त को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलान्त का वर्णित आराजी पर कोई कृषि कार्य नहीं किया है। अपीलान्त द्वारा आरोपित जुर्माना जमा करवा दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 472/12 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलान्त को सजायाब किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 79/172 रकबा 0.32 है., किस्म-गै.मु. खाल, ग्राम गूगलहेडी पर सम्वत् 2068 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 472/12 में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2012 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलान्त की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ नायब न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 110/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
(राज.)